

अध्याय – एक

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत राज्य की सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम आते हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए किया गया है। 31 मार्च 2015 को मध्यप्रदेश में 67 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है। इनमें से कोई भी कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध नहीं थी। वर्ष 2014–15 के दौरान किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना नहीं हुई तथा न ही कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बंद हुआ। 31 मार्च 2015 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण तालिका 1.1 में दिया गया है:-

तालिका 1.1 – 31 मार्च 2015 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कुल उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम ¹	योग
सरकारी कम्पनियाँ ²	55	9	64
सांविधिक निगम ³	3	निरंक	3
योग	58	9	67

31 मार्च 2015 को 58 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (3 सांविधिक निगम भी शामिल) थे। अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार इन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 61264.36 करोड़ का व्यवसाय किया। यह व्यवसाय राज्य के वर्ष 2014–15 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 12.06 प्रतिशत के बराबर था। सितम्बर 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल मिलाकर ₹ 6281.87 करोड़ की हानि उठाई। मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 64823 कर्मचारी नियोजित थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एक स्वायतशासी निकाय मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) शामिल नहीं है जिसका भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) एकमात्र लेखापरीक्षक है।

31 मार्च 2015 को नौ अकार्यशील उपक्रम 5 से 25 वर्षों तक अस्तित्व में थे जिनमें ₹ 192.03 करोड़ का निवेश था। यह जोखिमपूर्ण क्षेत्र है चूंकि अकार्यशील उपक्रम में निवेश का राज्य के आधिक विकास में कोई योगदान नहीं रहा।

¹ सार्वजनिक क्षेत्रों के अकार्यशील उपक्रम वे हैं जिन्होने अपने क्रियाकलाप बंद कर दिये हैं।

² सरकारी कम्पनियों में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 की उपधारा 5 व 7 में वर्णित अन्य कम्पनियों शामिल हैं।

³ मध्यप्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम, मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन एवं मध्यप्रदेश वित्त निगम

जवाबदेयता संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 के अनुसार अधिशासित होती है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार, “सरकारी कंपनी” वह कम्पनी है जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी में 51 प्रतिशत का हिस्सा केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार या सरकार, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार का और जिसमें उस सरकारी कम्पनी की एक सहायक कम्पनी सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त, सीएजी यदि आवश्यक समझे तो ऐसी कम्पनियाँ जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) एवं (7) के अन्तर्गत आती हैं को धारा 143 की उपधारा (7) के अनुसार या किसी आदेश के अनुसार इन कम्पनियों के लेखों की नमूना जाँच कर सकता है तथा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान भी ऐसी नमूना जाँच प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार सरकारी कम्पनी या अन्य कोई कम्पनी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकार या सरकार या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकार के पास हो, की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जा सकती है। 31 मार्च 2014 को या उसके पूर्व के वित्तीय वर्षों के संबंध में कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही अधिशासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों (जैसा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 139 (5) एवं (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा की जाती है, जो अधिनियम की धारा 143 (5) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के वित्तीय विवरणों को सम्मिलित करते हुये अन्य के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करेगा। इन वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(6) के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर सीएजी द्वारा संपादित की जाती हैं।

सांविधिक निगमों⁴ की लेखा परीक्षा उनसे संबंधित विधान द्वारा नियंत्रित होता है। तीन सांविधिक निगमों में से मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए सीएजी एक मात्र लेखापरीक्षक है। मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन एवं मध्यप्रदेश वित्त निगम का लेखा परीक्षा लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंटों द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

सरकार एवं विधायिका की भूमिका

1.4 राज्य शासन इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रखती है। बोर्ड के लिए मुख्य कार्यकारी तथा निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

⁴ म.प्र. राज्य सड़क परिवहन अधिनियम 1950, म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन अधिनियम 1962 तथा म.प्र. राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951

राज्य विधायिका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखांकन तथा सरकारी निवेश की उपयोगिता की भी निगरानी करती है। इसके लिए, अधिनियम की धारा 394 या संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार की कम्पनियाँ अपने वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों तथा सांविधिक निगम के संदर्भ में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत की जाती है। सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के अधीन शासन को प्रस्तुत किया जाता है।

मध्यप्रदेश शासन का अंश

1.5 इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य शासन का बड़ा वित्तीय अंश है। यह अंश मुख्यतः तीन प्रकार के हैं:

- अंशपूँजी एवं ऋण— अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय समय पर ऋण देकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- विशेष वित्तीय सहायता—राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यकता अनुसार बजटीय सहायता, अनुदान एवं उपदान देती है।
- प्रत्याभूति—राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रदान किये गये व्याज सहित ऋण की अदायगी के लिए प्रत्याभूति भी प्रदान करती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.6 31 मार्च 2015 को, 67 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश (पूँजी तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 56997.43 करोड़ था जिसका विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश


(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सरकारी कंपनियाँ			सांविधिक निगम			कुलयोग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील उपक्रम	19239.91	35270.25	54510.16	521.01	1774.23	2295.24	56805.40
अकार्यशील उपक्रम	57.59	134.44	192.03	--	--	--	192.03
योग	19297.50	35404.69	54702.19	521.01	1774.23	2295.24	56997.43

(स्रोत :—सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

31 मार्च 2015 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का 99.66 प्रतिशत पूँजी कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एवं शेष 0.34 प्रतिशत पूँजी अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। 31 मार्च 2015 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश का, 34.77 प्रतिशत पूँजी में और 65.23 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश वर्ष 2010–11 में ₹ 24400.17 करोड़ से 133.59 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 56997.43 करोड़ हो गया जैसा कि रेखाचित्र—1.1 में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र-1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश



(स्रोत :- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.7 31 मार्च 2015 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का क्षेत्र वार सारांश तालिका 1.3 में दिया गया है।


तालिका 1.3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कंपनियाँ		सांविधिक निगम	कुल	निवेश (₹करोड़ में)
	कार्यशील	अकार्यशील उपक्रम			
ऊर्जा	11	00	0	11	52367.63
विनिर्माण	14	03	0	17	530.06
वित्त	11	02	01	14	1926.27
सेवा	14	00	01	15	1733.57
अधोसंरचना	03	02	0	05	208.96
कृषि एवं संबंध	02	02	01	05	230.94
कुल	55	09	03	67	56997.43

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

31 मार्च 2011 तथा 31 मार्च 2015 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनका प्रतिशत रेखाचित्र-1.2 में दर्शाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा के क्षेत्र में था, यह 2010-11 में ₹ 21414.20 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 52367.63 करोड़ हो गया।

रेखाचित्र-1.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र वार निवेश



(कोष्ठक में प्रदर्शित आंकड़े कुल निवेश में प्रतिशत दर्शाते हैं)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश, वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसमें 144.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई (2010–11 से 2014–15) जिसका मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा पावर फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड/रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड से अपनी नई परियोजनाओं/विकास/उन्नयन कार्यों के लिए सरकार द्वारा समता एवं ऋण में किया गया निवेश रहा।

1.8 राज्य शासन वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समता, ऋण, अनुदान/उपदान, ऋण का अपलेखन व ब्याज की माफी के प्रति बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण 2014–15 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए **तालिका 1.4** में दिया गया है।

तालिका 1.4: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई बजटीय सहायता का विवरण (₹ करोड़ में)


क्र. सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से समता पूँजी बहिर्गमन	09	1418.65	06	1544.67	08	803.10
2.	बजट से दिये गए ऋण	04	2148.50	06	3786.50	05	2060.14
3.	बजट से प्राप्त अनुदान/उपदान	15	3833.43	18	4456.45	15	6058.22
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	-	7400.58	-	9787.62	--	8921.46
5.	ऋण एवं ब्याज की माफी	--	--	--	--	01	1379.23
6.	निर्गत प्रत्याभूति	07	5303.11	08	6528.32	10	3311.27
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	08	4815.88	09	7873.52	10	8958.90

स्रोत :— सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी

विगत पाँच वर्षों के लिए समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का विवरण रेखाचित्र—1.3 में दिया गया है।

रेखाचित्र—1.3 : समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन

रेखाचित्र—1.3



(स्रोत :— सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

बजट से समता, ऋण एवं अनुदान/आर्थिक सहायता वर्ष 2013–14 में ₹ 9787.62 करोड़ से घटकर 2014–15 में ₹ 8921.46 करोड़ बहिर्गमित हुई। बजट के ₹ 8921.46 करोड़ बहिर्गमन में चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दी गई सहायता ₹ 7743.16 करोड़ शामिल

हैं। जो क्रमशः ₹ 2716.58 करोड़ मध्यप्रदेश पूर्वक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को, ₹ 1487.21 करोड़ मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ₹ 1906.12 करोड़ मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और ₹ 1633.25 करोड़ मध्यप्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड को समता ऋण एवं अनुदान/उपदान शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य गारंटी नियम 2009 के तहत गारंटी दिया जाता है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क आरोपित की जाती हैं। यह शुल्क 0.50 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से राज्य सरकार द्वारा ऋणी के आधार पर लगाया जाता है। गारंटी प्रतिबद्धता वर्ष 2012–13 में ₹ 4815.88 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 8958.90 करोड़ हो गया इसके अलावा वर्ष 2014–15 के दौरान तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारंटी शुल्क 4.36 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष के दौरान छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया और जिनके विरुद्ध संचित/बकाया ₹ 170.45 करोड़ थी (31 मार्च 2015 को)।

वित्तीय लेखों के साथ मिलान

1.9 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूति के आँकड़े, राज्य के वित लेखों में दर्शाये गये आकड़ों के समान होने चाहिए। यदि आँकड़ों में भिन्नता हो तो, संबंधित पी.एस.यू. और वित विभाग को भिन्नताओं का समाधान करना चाहिये। इस संबंध में 31 मार्च 2015 की स्थिति तालिका 1.5 में दर्शित है।

तालिका 1.5 : वित्त लेखों और पी.एस.यू. के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूतियां

(रुपये में)

निम्नांकित के संबंध में बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
समता	4511.22	16291.87	11780.65
ऋण	15017.39	24692.41	9675.02
प्रत्याभूति	15676.62	8958.90	6717.72

स्रोत : वित्तीय लेखे 2014–15 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी

हमने पाया कि अन्तर, 38 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में थे। और इनमें से कुल अन्तरों का समाधान पूर्व के पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित है। यद्यपि वित लेखों में दर्ज आँकड़े और पी.एस.यू. के अभिलेखों में भिन्नताओं को पूर्व के वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदन किया गया था, परन्तु राज्य शासन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। शासन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अन्तरों के समाधान के लिये उचित समय के अंदर ठोस कदम उठाना चाहिये।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.10 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 96 (1) के प्रावधानों के अनुसार सितंबर माह के अंत तक संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अंदर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसमें हुई विफलता अधिनियम की

धारा 99 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकती हैं। इसी तरह सांविधिक निगम के मामले में लेखों का अंतिमीकरण, लेखापरीक्षण एवं विधायिका में प्रस्तुतीकरण संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

30 सितम्बर 2015 तक लेखों के अंतिमीकरण करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई प्रगति का विवरण **तालिका 1.6** में प्रस्तुत है।

तालिका 1.6 : लेखों के अंतिमीकरण करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई प्रगति का विवरण

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	51	55	55	58	58
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गए लेखाओं की संख्या	59	50	49	47	59
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	58	63	64	84	77
4.	बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	26	26	25	32	36
5.	बकायों की सीमा (वर्षों की सीमा)	1-7	1-8	1-9	1-10	1-11

(स्रोत :— सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

यह देखा जा सकता है कि कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लंबित लेखों की संख्या 58 (2010–11) से बढ़कर 77 (2014–15) हो गई लंबित लेखों में 69 सरकारी कम्पनियों के लेखे एक से ग्यारह वर्ष की अवधि तथा दो सांविधिक निगमों के लेखे मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कार्पोरेशन लेखे का एक वर्ष लिये और म.प्र. राज्य परिवहन निगम लेखे का सात वर्षों के लिये शामिल है।

प्रशासनिक विभागों पर इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि ये पी.एस.यू. अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर कर रहे हैं। यद्यपि संबंधित विभाग/मंत्रालय को नियमित रूप से (फरवरी 2015 और नवम्बर 2015) अवगत कराया गया। यद्यपि कोई सुधार नहीं देखा गया और विलबन में वृद्धि हुई।

1.11 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 2630.52 करोड़ { (समता: ₹ 269.53 करोड़ (पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), ऋण: ₹ 1897.63 करोड़ (पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) } एवं अनुदान: ₹ 463.36 करोड़ (10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)} का निवेश किया जिनके लेखे अंतिमीकृत नहीं हुये थे जिनका विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है। लेखों के अंतिमीकरण और उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि, किये गये निवेश और व्यय का लेखांकन उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं। इस प्रकार इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शासकीय निवेश राज्य की विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहा।

1.12 उपरोक्त के अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों का अंतिमीकरण लंबित थे। नौ अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से सात⁵ परिसमापन की प्रक्रिया में थे शेष दो अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों का विलंबन तीन से सात साल के बीच था।

तालिका 1.7: अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों का विलंबन

अकार्यशील उपक्रम का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखें लंबित रहें	लेखों में विलम्बन संख्या वर्षों में
मध्यप्रदेश राज्य टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2008-09	07
मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड	2012-13	03

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

1.13 सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी द्वारा निर्गमित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को (30 सितम्बर 2015 तक) राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति तालिका 1.8 में दर्शित है।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

क्र.सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक का एसएआर विधायिका में रखा गया	एसएआर जिस वर्ष से विधायिका में रखा जाना शेष है	
			एसएआर का वर्ष	एसएआर का वर्ष
1	म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन लिमिटेड	2013-14	2014-15	लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिये गए
2	म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	2007-08	2008-09	लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिये गए
3	म.प्र. वित्त निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	02 नवंबर 2014

लेखों के अंतिमीकरण न होने के प्रभाव

1.14 जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है (कंडिका 1.10 से 1.12) लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब से प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के साथ लोकनिधि की धोखाधड़ी एवं बर्बादी के जोखिम की संभावना हो सकती है। उपरोक्त के अनुसार राज्य के लंबित लेखों की दशा में वर्ष 2014-15 में राज्य की जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक योगदान का आकलन नहीं किया जा सकता तथा राजकोष में उनके योगदान को भी राज्य की विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया।

अतः ये अनुशंसा की जाती है :

⁵ म.प्र. लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, म.प्र. राज्य दुर्घट विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, ऑप्टेल टेलीकम्प्युनिकेशन लिमिटेड और म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड

- सरकार को बकाया के निराकरण के निरीक्षण हेतु एक प्रकोष्ठ बनाना चाहिये और प्रत्येक कम्पनी/निगम के लिये लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिये जिसका निरीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाये ।
- जहाँ स्टाफ अपर्याप्त या अयोग्य है वहाँ सरकार को लेखे तैयार करने के लिये बाह्य स्त्रोत पर विचार करना चाहिये ।

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.15 कार्यशील सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परीणाम का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.1** में है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवर्त का राज्य के जीडीपी के साथ अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों को दर्शाता है । समाप्त हुये वर्ष 2014–15 से पूर्व के पाँच वर्षों की अवधि का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण तालिका 1.9 में प्रदर्शित है ।

तालिका 1.9 : कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आवर्त ⁶	31637.50	37949.25	58237.27	59860.12	61264.36
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद	263396.00	305158.00	361270.00	434730.00	508006.00
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में आवर्त का प्रतिशत	12.01	12.44	16.12	13.77	12.06


(स्त्रोत :— सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

वर्ष में राज्य की जीडीपी में आवर्त की प्रतिशतता वर्ष 2010–11 में 12.01 प्रतिशत से बढ़कर 2012–13 में 16.12 प्रतिशत हो गया तत्पश्चात 2014–15 में 12.06 प्रतिशत तक की गिरावट राज्य जीडीपी में 2013–14 से 2014–15 में योगदान में कमी का संकेतक है ।

1.16 वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान राज्य में कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानि रेखाचित्र 1.4 में प्रदर्शित की गई है ।

⁶30 सितम्बर को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आवर्त

रेखाचित्र 1.4 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हानि (₹ करोड़ में)



(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अद्यतन लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर संबंधित वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या को दर्शाते हैं।)

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

वर्ष 2014-15 के दौरान 58 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 566.51 करोड़ लाभ अर्जित की और 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 6848.38 करोड़ की हानि हुई। छ: कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार तैयार किये और दो कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने प्रथम लेखे का अंतिमीकरण नहीं किया। लाभ में प्रमुख योगदान मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 120.81 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड इन्डौर (₹ 86.75 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 80.50 करोड़) व मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (₹ 66.12 करोड़) का था।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 2113.02 करोड़), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1887.15 करोड़), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1810.95 करोड़) तथा मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹ 896.82 करोड़) भारी नुकसान वहन करने वाली कम्पनी रही।

1.17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ अन्य प्रमुख मापदण्ड तालिका 1.10 में दिये गये हैं।

तालिका 1.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय (प्रतिशत में)	--	--	--	--	--
ऋण	13599.12	21670.95	28932.24	34988.54	37178.92
आवर्त ^१	31637.50	37949.25	58237.27	59860.12	61264.36
ऋण/आवर्त अनुपात	0.43:1	0.57:1	0.50:1	0.58:1	0.61:1
ब्याज का भुगतान	2082.37	1601.69	2715.97	3382.32	4064.62
संचित लाभ / (-) हानि	(-)2034.28	(-)2332.51	(-)4066.23	(-) 28254.01	(-) 29597.25

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

संचित हानि प्रतिमान में वृद्धि देखी गई, जो 2010–11 में ₹ 2034.28 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 29597.25 करोड़ हो गई। मुख्य योगदान करने वाले कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 8673.05 करोड़), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 8824.44 करोड़), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 7733.55 करोड़), मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹ 3047.01 करोड़) थे। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के परिचालन की बिंगड़ती स्थिति को इंगित करता है। ऋण आवर्त अनुपात 2010–11 में 0.43:1 से बढ़कर 2014–15 में 0.61:1 हुई। अतः इस दौरान जिस अनुपात में ऋण में वृद्धि में हुई उस अनुपात में सालाना बिक्री में वृद्धि नहीं हुई।

1.18 राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2005 में लाभांश नीति तैयार की गई थी जिसके तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने कर पश्चात लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत लांभाश भुगतान करना आवश्यक है। नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 566.51 करोड़ लाभ अर्जित किया और उनमें से सिर्फ आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों^२ ने ₹ 34.28 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इस प्रकार 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ अर्जित करने के बावजूद लाभांश घोषित न करके मध्य प्रदेश शासन के लाभांश नीति का उल्लंघन किया।

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समापन

1.19 31 मार्च 2015 को नौ अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। उनमें से सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ किया चुका है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या तालिका 1.11 में दिये गये हैं।

^१ 30 सितम्बर 2015 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयू का आवर्त

^२ म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड, म.प्र. रोड विकास निगम लिमिटेड, संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथ करघा विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड, म.प्र. लघु उद्योग नि. लिमिटेड

तालिका 1.11: अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अकार्यशील सरकारी कंपनियों की संख्या	10	09	09	09	09
अकार्यशील सांविधिक निगमों की संख्या	--	--	--	--	--
कुल	10	09	09	09	09

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान और अपेक्षित उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिये इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यह माना जा सकता है कि इन्हे या तो बंद किया जाये या पुर्नजीवित किया जाये।

वर्ष 2014–15 के दौरान दो अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁸ के प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय ₹ 0.08 करोड़ रहा। इन व्ययों के लिए वित्त पोषण मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया (₹ 1.19 करोड़)

1.20 वर्ष 2014–15 के दौरान किसी भी कम्पनी की समापन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंद होने का चरण⁹ तालिका 1.12 में दिया गया है।

तालिका 1.12: अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंद होने का चरण

संख्या	विवरण	कंपनी	सांविधिक निगम	कुल
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	9	--	9
2.	उपरोक्त (1) में से संख्या नीचे			
(अ)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	--	--	--
(ब)	स्वेच्छा से परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	7	--	7 ¹⁰
(स)	समापन/बन्द करने के आदेश/अनुदेश जारी हो गए हैं परन्तु परिसमापन प्रक्रिया अभी तक प्रांगम नहीं हुई है।	2	--	2

वर्ष 2014–15 के दौरान, स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम में तेज है और इसे सख्ती से अपनाई/अपनाये जाने की आवश्यकता है। सरकार दो अकार्यशील उपक्रमों¹¹ के परिसमापन के संबंध में निर्णय ले सकती है जबकि इनके अकार्यशील होने के बावजूद चालू रखने या न रखने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिये गये।

⁸ म.प्र. राज्य वस्त्रोदयोग निगम लिमिटेड एवं म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड

⁹ कंपनियों के द्वारा निर्णायक जानकारी प्रस्तुत न करने के कारण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2013–14 से ग्रहण की गई।

¹⁰ मध्यप्रदेश उद्देश्य कार्यालय निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्यप्रदेश पंचायतीराज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, ऑप्टेल टेली कम्पनीकेशन लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड

¹¹ म.प्र. राज्य वस्त्रोदयोग निगम लिमिटेड, म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड

लेखा टिप्पणी

1.21 वर्ष 2014–15 के दौरान, 44 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उनके 58 अंकेक्षित लेखे पीएजी/एजी को भेजे गए। इनमें से 30 सरकारी कम्पनियों के 31 लेखों को अनुपूरक लेखा परीक्षा के लिए चयन किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सीएजी की अनुपूरक लेखा परीक्षा यह इंगित करता है कि लेखे के रखरखाव की गुणवत्ता में काफी सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणी की मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 1.13 में है।

तालिका 1.13: कार्यशील कम्पनियों के लेखों पर अंकेक्षण टिप्पणी का मौद्रिक प्रभाव
(₹ करोड़ में)

संख्या	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखों की संख्या	रकम	लेखों की संख्या	रकम	लेखों की संख्या	रकम
1.	लाभ में कमी	03	8.39	02	15.87	10	121.16
2.	हानि में वृद्धि	02	52.16	03	181.06	02	11.10
3.	तथ्यों को प्रकट न करना	02	697.28	06	110.63	08	40.94
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	02	2548.36	10	234.26	04	194.30

(स्रोत :— सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा 44 लेखों पर अमर्यादित प्रमाण पत्र और 14 लेखों में मर्यादित प्रमाण पत्र दिये गये। उपरोक्त के अतिरिक्त सीएजी ने एक लेखे (मध्यप्रदेश लघु उघोग निगम) में डिस्कलेमर टिप्पणी दी है वर्ष के दौरान 8 लेखों पर 46 मामले ऐसे थे जिनमें लेखामानक का अनुपालन कमजोर रहा।

1.22 इसी तरह वर्ष 2015–16 के दौरान मध्य प्रदेश वित्त निगम ने वर्ष 2014–15 के लेखे पीएजी/एजी को भेजे। इस लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा मर्यादित प्रमाण पत्र दिया गया और लेखे को अनुपूरक लेखा परीक्षा के लिये चयनित किया। सांविधिक लेखापरीक्षक की अंकेक्षण प्रतिवेदन और सीएजी की अनुपूरक लेखा परीक्षा यह इंगित करता है कि लेखे के रखरखाव की गुणवत्ता में काफी सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणी की मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 1.14 में है।

तालिका 1.14: कार्यशील सांविधिक निगमों के लेखों पर अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव
(₹ करोड़ में)

संख्या	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखों की संख्या	रकम	लेखों की संख्या	रकम	लेखों की संख्या	रकम
1.	लाभ में कमी	--	--	02	8.80	01 ¹²	13.30
2.	वर्गीकरण की त्रुटियां	--	--	02	23.60	--	--

(स्रोत :— सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

¹² म.प्र. वित्त निगम

लेखा परीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखा परीक्षाएँ तथा कंडिकाएँ

1.23 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन के लिए तीन निष्पादन लेखा परीक्षा, एक लम्बी कंडिका और चार विभागों से जुड़े 12 अंकेक्षण कंडिकाएं संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को 6 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध के साथ जारी किए गए थे हालांकि एक निष्पादन लेखा परीक्षा और 9 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं से संबंधित उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2015)।

लेखा प्रतिवेदनों का अनुपालन

अप्राप्त उत्तर

1.24 भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जांच की प्रक्रिया के चरम स्थिति को प्रदर्शित करता है इसलिये यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्रकाश में लाये वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को अगस्त 2015 में निर्देशित किया है कि सीएजी के आडिट रिपोर्ट में शामिल कंडिका/पैराग्राफ के उत्तर निर्धारित प्रारूप में कोपू से प्रश्नावली की प्रतिक्षा किये बिना व्याख्यात्मक नोट विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करे।

तालिका— 1.15: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2015 की स्थिति में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/पीएसयू)	राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ		पीएस/कंडिकाओं की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं	
		पीएस	कंडिकाएँ	पीएस	कंडिकाएँ
2012-13	22.07.2014	05	11	00	03
2013-14	22.07.2015	03	08	03	08
कुल		08	19	03	11

उपरोक्त तालिका 1.15 से यह देखा जा सकता है कि 19 कंडिकाओं और आठ निष्पादन लेखा परीक्षा में से 11 कंडिकाओं और तीन विभागों की तीन निष्पादन लेखा परीक्षा पर टिप्पणी की गई थी, उनकी व्याख्यात्मक टिप्पणी अप्राप्त थे (सितम्बर 2015)।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा –

1.25 30 सितम्बर 2015 को निष्पादन लेखा परीक्षाओं एंव कंडिकाओं की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पीएसयू में शामिल थी और जिन पर सरकारी उपक्रम समिति के द्वारा चर्चा की गई जिसका विवरण नीचे तालिका 1.16 में दी गई है।

तालिका 1.16: 30 सितम्बर 2015 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं पर की गई चर्चा का विवरण

की अवधि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		चर्चा के लिए लंबित कंडिकाएँ	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2009-10	02	09	02	08
2011-12	02	07	01	07
2012-13	05	11	00	00
2013-14	03	08	00	00
कुल	12	35	03	15

सरकारी उपक्रमों पर समिति कोपु के प्रतिवेदनों का अनुपालन—

1.26 सितम्बर 1976 और मार्च 2015 के दौरान राज्य की विधायिका के समक्ष कोपु के 66 प्रतिवेदनों से संबंधित 411 कंडिकाओं पर शासकीय विभागों की कार्यवाही का विवरण कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त रहे (दिसम्बर 2015) जैसा कि तालिका 1.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.17: कोपु के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपु के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपु के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपु के प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जिनके लिए कार्यवाही विवरण प्राप्त नहीं हुए
1973-74 से 2003-04	37	653	286
2004-05	08	54	28
2005-06	06	45	29
2006-07	03	30	17
2007-08	07	28	19
2008-09	04	39	30
2009-10	01	03	02
कुल	66	852	411

कोपु की इन प्रतिवेदनों में 11 विभागों से संबंधित कंडिकाओं के बारे में अनुशंसाएं थी जो 1973-74 से 2009-10 के वर्षों में भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन में शामिल थीं।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि:

(अ) निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षकों एंवं कोपु की अनुशंसाओं पर कार्यवाही विवरण के उत्तर/व्याख्यात्मक टीप निर्धारित समय सीमा में भेजे (ब) हानियाँ/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान आदि की वसूली समय सीमा के अंदर किया जाए एवं (स) लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर देने के लिये तंत्र में सुधार लाया जाये।

प्रतिवेदन का क्षेत्र

1.27 इस प्रतिवेदन में ₹ 4099.14 करोड़ से जुड़े वित्तीय प्रभाव तीन निष्पादन लेखापरीक्षाये, एक वृहत कंडिका एवं 12 कंडिकाएं शामिल हैं।